आरईओ–186

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कमांकःजेपीडी / मुअ(वाणिज्य) / अअ (आरई) / प. /प्रे. 1942 जयपुर, दिनांक 26/12/07

आदेश

विषयः—कृषि कनेक्शन होने के बाद उसी खसरा / खेत परिसर / मुरब्बा में दूसरे कुएँ पर चालू कनेक्शन का स्थान परिवर्तन, पचांयत समिति के किसी भी गॉव में दूसरे कुएँ पर चालू कनेक्शन का स्थान परिवर्तन तथा कनेक्शन स्थानान्तरण होने के पश्चात पुनः स्थानान्तरण ।

कृषि कनेक्शन नीति (संशोधित 31.3.2007) के बिन्दु संख्या 22 (ii) के प्रावधानों के अनुसार कनेक्शन होने के बाद परिस्थितिवश कनेक्शन वहीं रखना उपभोक्ता के वश में नहीं हो तो कृषि कनेक्शन उसी खसरा / खेत परिसर / मुरब्बा मे दूसरे कुएँ पर चालू कनेक्शन का स्थान परिवर्तन किया जा सकता है तथा बिन्दु संख्या 22 के पैरा संख्या (iii) के अनुसार उसी पंचायत समिति के दूसरे गॉव में भी स्थानान्तरित किया जा सकता है बशर्ते उस भूमि का स्वामित्व प्रार्थी के नाम से कम से कम दो वर्ष पूर्व से होना चाहिए। इसी प्रकार जिन कृषकों को कुएँ हेतु राज्य सरकार द्वारा जमीन आवटंन हुई है उनका कृषि कनेक्शन स्थानान्तरण भी उपरोक्त नियम के अन्तर्गत उसी पंचायत समिति क्षेत्र मे किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध मे समन्वय समिति की दिनांक–6.12.07 को आयोजित 112वीं बैठक मे विस्तृत चर्चा कर यह तय किया गया है कि कृषि कनेक्शन होने एवं स्थानान्तरण होने के पश्चात कम से कम दो वर्ष तक कहीं भी कृषि कनेक्शन का स्थानान्तरण / पुनः स्थानान्तरण नही किया जावे।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

(बी.एल.अग्रवाल)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1–उर्जा सचिव,राजस्थान सरकार,जयपुर ।
2–प्रबन्ध निदेशक,अजमेर विद्युत वितरण निगम लि,अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.जोधपुर को उनके द्वारा उक्त तरह के आदेश प्रसारित करने हेतु ।
3–निदेशक (वित्तीय) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
4–मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य / जयपुर जोन / आर.पी.) / कोटा जोन, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर / कोटा ।
5–अधीक्षण अभियन्ता (पवस / प्लान / विधि जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.————————।
6–प्रावेधिक सहायक,राज्य मंत्री,उर्जा विभाग,विद्युत भवन,जयपुर ।
7–अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.(राम बाग सर्किल)जयपुर ।
8–मुख्य / वरिष्ठ लेखाधिकारी ( ) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर ।
9–अधिशाषी अभियन्ता(पवस / ग्रिवीन्सेज / एमआईएस) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.———
10–विशिष्ठ सहायक,सलाहकार (एम), मुख्य मंत्री,सचिवालय,राज0सरकार,जयपुर ।
11–विधुत विभागीय सलाहकार संभागीय आयुक्त मिनि सचिवालय जयपुर।
12–जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर ।
13–निजी सचिव,मा0 उर्जा मंत्री,राजस्थान सरकार,जयपुर को मा0 उर्जामंत्री के सूचनार्थ ।
14–निजी सहायक,अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,राज0राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.,जयपुर को मा0 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के सूचनार्थ ।
15–निजी सहायक,प्रबन्धक निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर को मा0 प्रबन्ध निदेशक के सूचनार्थ।
16–कम्पनी सचिव, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. / राज0राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. जयपुर को समन्वय समिति की 112वीं मिटिंग दिनांक 06.12.2007 के आईटम नं. 112.07 के सन्दर्भ में ।
17–इन्चार्ज कन्ट्रोल रूम उर्जा राज्य मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर।
18–इन्चार्ज,कन्ट्रोल रूम मुख्य अभियन्ता (जयपुर जोन) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि,जयपुर ।

मुख्य अभियन्ता (वाणि०)